<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 206 / 12</u> संस्थापन दिनांक:--09 / 05 / 12 फाईलिंग नं. 233504004322012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

बब्बू उर्फ बबलू पिता मेनू धुर्वे उम्र 24 वर्ष, निवासी सुनारखापा, थाना सांईखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :--</u>

(आज दिनांक 10.06.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 (सात काउंट में), 338, 304(ए) भाठदंठसंठ एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 39/192 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.2012 को समय 02:00 बजे पंखा अम्बाड़ा रोड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ट्रेक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन को संकटापन किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर उक्त ट्रेक्टर को पलटाकर उसमें बैठी नुक्की, निहिया, सिल्लो, सिरता, पिंटू, कन्हैया, संजीव, को स्वेच्छया उपहित एवं रीमा को घोर उपहित कारित की तथा नुक्की की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा उसके द्वारा चलाये जा रहे वाहन का नियमानुसार नम्बर नहीं पाया गया एवं उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन कराये संचालित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2012 फरियादी तथा अन्य लोग मुन्ना करिया की लड़की के टीका कार्यक्रम में ग्राम चुटकी द्रेक्टर द्राली में बैठकर जा रहे थे। द्रेक्टर द्राली में करीब 20—25 लोग बैठे थे। द्रेक्टर को बबलू धुर्वे चला रहा था। तभी पंखा के आगे अम्बाड़ा जोड़ के आगे करीब 2 बजे द्रेक्टर चालक ने द्रेक्टर द्राली को बड़ी तेज एवं लापरवाही से चलाकर रोड के किनारे बांयी तरफ खन्ती में पलटा दिया जिससे उसे सिर, पैर पर चोट आयी तथा कन्हैया, पिंटू, रीमा, सरिता, नुक्की, मिठिया, सिल्लो को भी

चोटें आयी। अस्पताल चौकी बैतूल से प्राप्त अपराध क. 035/12 की प्रथम सूचना के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध असल अपराध क. 159/12 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से ट्रेक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 को मय ट्राली, रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूटा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.2012 को समय 02:00 बजे पंखा अम्बाड़ा रोड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ट्रेक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन को संकटापन किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर उक्त ट्रेक्टर को पलटाकर उसमें बैठी नुक्की, निहिया, सिल्लो, सिरता, पिंटू, कन्हैया, संजीव, को स्वेच्छया उपहित एवं रीमा को ६ तेर उपहित कारित की तथा नुक्की की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन का नियमानुसार नम्बर नहीं था एवं उक्त वाहन को अभियुक्त ने बिना रजिस्ट्रेशन कराये संचालित किया ?
- 4 . निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 6 संजोग (अ.सा.—1), सिल्लोबाई (अ.सा.—2), कन्हैया (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना दिनांक को टीके के कार्यक्रम में ग्राम बोथिया से ट्रेक्टर ट्राली में बैठकर जा रहे थे। ट्रेक्टर ट्राली पलटने से उन्हें सिर व पीठ में चोट आयी थी।
- डॉ. एस.के. रघुवंशी (अ.सा.–8) ने दिनांक 25.04.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत नुक्कीबाई, मिथियाबाई, रीमा, सिल्लोबाई, सरिता, पिंटू, कन्हैया एवं संजोग का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना प्रकट करते हुए आहत नुक्कीबाई के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के दांयी जांघ पर घुटने के पास 4 गुणा 1 सेमी. आकर का लेसेरेटेड बोन एवं दांये घूटने के पीछे तरफ 20 गुणा 8 सेमी. आकार की केश इंज़्री, आहत मिथियाबाई के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की पीठ के मध्य भाग में 3 गुणा 0.2 सेमी आकार की खरोज, बांयी जांघ के मध्य भाग में 1 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन, आहत रीमा के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान दांयी भूजा, पीठ में बांयी तरफ उपर की ओर, बांये सीने में उपर की तरफ सूजन, आहत सिल्लोबाई के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के बांये सीने में नीचे की ओर 3 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन, आहत सरिता के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की दांयी जांघ पर 15 गुणा 10 सेमी. आकार की कृश इंजुरी, आहत पिंदू के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के बांये गाल पर 5 गुणा 4 सेमी. आकार की सूजन एवं आहत कन्हैया के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के बांये सीने में नीचे की तरफ एवं बायें कंधे पर दर्द तथा आहत सजोग के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के बांये टखने में दर्द, बांये खेपड़ी के सामने 1 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-16 को प्रमाणित किया है।
- 8 डॉ. ओपी यादव (अ.सा.—4) ने दिनांक 27.04.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उसके पास डॉ. रघुवंशी द्वारा रीमा को कलाई के एक्सरे के लिए भेजा जाना जिसका प्लेट क. 3793 होना तथा एक्सरे में दांये हाथ की रेडियर अलना हड्डी टूटी होना प्रकट करते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी—4) को प्रमाणित किया है।
- 9 डॉ. प्रकाश देशमुख (अ.सा.—6) ने दिनांक 27.04.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक नुक्कीबाई के शव का परीक्षण में मृतक के सीने के बांयी तरफ 3 गुणा 2 सेमी. आकार का घिसा हुआ घाव, दांहिने पैर में 3 टांके लगे हुआ घाव, मृतक का शरीर पेल तथा अकड़ा हुआ होना एवं मृतक के आंतरिक परीक्षण पर मृतक की

छाती के अंदर रक्त का रिसाव, दांहिना एवं बांया फेफड़े, हृदय पेल, दांया और बांया चेम्बर खाली होना एवं मृतक के पेट के अंदर रक्त रिसाव, पेट पेल और अंदर अपचा हुआ खाना, छोटी आंत पेल जिसमें पचा हुआ खाना एवं बड़ी आंत पेल होना और उसमें मल पदार्थ एवं गैस होना, यकृत पेल और उसमें एक फटा हुआ घाव, मृतक की प्लीहा, गुर्दा एवं मूत्राशल पेल होना, दांहिने साईड की 4 एवं बांये साईड की 2 पसली तथा दांये पैर की फीमर बोन टूटी पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी—7) को प्रमाणित किया है। साक्षी संजोग (अ.सा.—1), सिल्लोबाई (अ.सा.—2), कन्हैया (अ.सा.—3), डॉ. एस.के. रघुवंशी (अ.सा.—8), डॉ. ओपी यादव (अ.सा.—4) एवं उपर्युक्त साक्षी के कथनों से एवं बचाव पक्ष के द्वारा इस तथ्य को चुनौती न दिये जाने के कारण आहतगण को चोट आने का तथ्य एवं नुक्की बाई की मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है।

- 10 लख्खू साहू (अ.सा.—7) ने दिनांक 01.05.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अस्पताल चौकी बैतूल से अपराध क. 035/12 की डायरी असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर असल अपराध क. 159/12 में प्रदर्श पी—3 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।
- 11 एस.एल. साहू (अ.सा.—9) ने दिनांक 02.05.2012 को पुलिस चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पर पद पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 159/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—9) तैयार किया जाना एवं 09.05.2012 को अभियुक्त के पेश करने पर एक मेशी कम्पनी का ट्रेक्टर मय दस्तावेज के जप्त कर प्रदर्श पी—5 का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।
- 12 सोनू (अ.सा.—5) ने अभियुक्त को जानना प्रकट करते हुए जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—5) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—6) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है परंतु अपने समक्ष अभियुक्त से कुछ भी जप्त किये जाने से इनकार किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।
- 13 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को वाहन अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा एवं उतावेपन से चलाया जा रहा था। इस संबंध में संजोग (अ.सा.—1), सिल्लोबाई (अ.सा.—2), कन्हैया (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वे अभियुक्त को नहीं जानते हैं तथा घटना दिनांक को वे लोग ग्राम बोथिया से ट्रेक्टर ट्राली में बैठकर टीका

कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी देक्टर के चालक ने देक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा अभियुक्त के द्वारा देक्टर को चलाये जाने की बात से इनकार किया है। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि जिस देक्टर से वे जा रहे थे उसका नंबर भी उन्हें नहीं पता है और द्वाली में बैठे होने के कारण उन्होंने नहीं देखा था कि देक्टर कौन चला रहा था।

14 प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षीगण संजोग (अ.सा.—1), सिल्लोबाई (अ.सा.—2), कन्हैया (अ.सा.—3) ने अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन देक्टर को चलाया जाना नहीं बताया है। यद्यपि साक्षीगण ने यह बताया है कि देक्टर के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से देक्टर को चलाकर पलटा दिया था परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को देक्टर को अभियुक्त के द्वारा चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा देक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर घटना कारित की गयी हो। साथ ही जब प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि घटना दिनांक को देक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 अभियुक्त के द्वारा चलाया जा रहा था तब ऐसी स्थिति में जबिक अभियुक्त से देक्टर की जप्ती दिनांक 09.05.2012 को घटना के लगभग 15 दिन बाद की गयी है। तब यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा कथित देक्टर एवं द्वाली को बिना नंबर एवं बिना रिजस्ट्रेशन के चलाया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

15 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रेक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन को संकटापन किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर उक्त ट्रेक्टर को पलटाकर उसमें बैठी निहिया, सिल्लो, सिरता, पिंटू, कन्हैया, संजीव, को स्वेच्छया उपहित एवं रीमा को घोर उपहित कारित की तथा नुक्की की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा उसके द्वारा चलाये जा रहे वाहन का नियमानुसार नम्बर नहीं पाया गया एवं उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन कराये संचालित किया। फलतः अभियुक्त बब्बू उर्फ बबलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(सात काउंट में), 338, 304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 51/177, 39/192 के आरोप से दोषमुक्त घोषित

किया जाता है।

16 अभियुक्त आज दिनांक को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में स्वयं उपस्थित हुआ है और वह न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जावे।

17 प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क. एमपी—05—एफ—1774 मय ट्राली एवं दस्तावेज के मोहन पिता सोमजी निवासी चारबन थाना सांईखेड़ा जिला बैतूल अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)